

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिव/परिषद सम्बद्धता/2020/1871

लखनऊ: दिनांक: 15-9-2020

-कार्यालय ज्ञाप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ ने सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सभिते द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदिता नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से अभावित संस्थाओं को सम्बद्धता बिलाए/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मापों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त से अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्-3 में डिप्लोमा इन कार्मसी पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नान्त निर्णय लिया गया -

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन कार्मसी पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संस्थाएँ जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठरी0आई0 द्वारा उन्हें अध्यापक अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठरी0आई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उक्त नाम के सम्मुख अखिल पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सभिते द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठरी0आई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विचार विवे जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को अखिल सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्राप्त की जायेगी तथा उक्त संस्था अखिल तकनीकी शिक्षण संस्था हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र० सं०	संस्था सं०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठरी0आई0 द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीठरी0आई0 /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1334	एच/एचएचएच डब्ल्यू आरकेन अखिल कार्मसी, वायसी शिक्षण संस्था	डिप्लोमा इन कार्मसी	५०	५०

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ सत्र 2020-21 हेतु पीठरी0आई0/पीठरी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था अखिल तकनीकी शिक्षा परिषद लखनऊ तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनकारी लखनऊ संसद विनियमनकारी-2016 तथा अन्य विहित विधानों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निराकरण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क वॉल सर्विस इन्वीय पाठ्यक्रमों हेतु एक 80,150.00/- प्रतिवर्ष, डी ब्रांच कार्मसी पाठ्यक्रम हेतु एक 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक जगह की परीक्षा पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु एक 32,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क की अव्यक्त छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं को शुल्क के सम्बन्ध में सहाय-समता पर शासन द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले आरक्षणोंका बराबरी होगी और वदनुसार सामग्री दिया जायेगा।

(Handwritten signature)

जाय सम्बन्धित होगा। नीचे निर्धारण समिति द्वारा दिये गये 2020-21 हेतु नीचे के पुनर्निर्धारण किये जाते हैं जो नीचे की-सीमा तक रहे लगे होंगे।

- ✓ संस्था को एचआर प्रामाणिक शिक्षा अभियानों तथा उप अभियानों, राज्यमंत्री को सम्बद्ध किया जाय। विनियमावली-2000 की शर्तों को अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिवर्तन द्वारा आयोजित करने को ही प्रस्ताव दिया जायेगा। शीर्ष के स्थान पर अपने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन की निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को राज्य-समता एवं निर्णय शासनादेश के अनुसार निर्देशानुसार एवं सम्बद्धता सुलभ रूप में करना होगा।
- ✓ संस्था को एचआर/एचआर/एचआर/पीसी/आर/एच से आगामी गैर हेतु अनुपालन प्राप्त किया जाय। सम्बद्धता होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये शिक्षा/विश्वविद्यालय/अभियान/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रायोगिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा परीक्षा परिषद, उच्च शिक्षा प्रायोगिक शिक्षा, उच्च शिक्षा द्वारा बनाये गये निर्देशों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने को निर्णय होगा।
- ✓ विनियम हेतु कार्यवाही पाठ्यक्रम को सम्बन्धित यदि किसी कार्य में अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस प्रस्ताव में सम्बन्धित शासनादेशों का होना और विनियम रूप में किसी की कार्यवाही के लिए संस्था लगे उत्तरदायी होगी। प्रायोगिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रायोगिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्रायोगिक शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा शासन को कोई भी कार्य प्राप्त किया जाता है तब कार्य पर के प्रवेश में या आवाजाय द्वारा किसी प्रकार को जायगी लगे। आदेश निर्णय किया जाता है तो सम्बन्धित प्रयोगिक शिक्षा को जल्दी होगी।
- ✓ विनियम हेतु कार्यवाही पाठ्यक्रम सम्बन्धित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रयोगिक शिक्षा के लिए आयोगिक प्रवेश परीक्षा हेतु शासनादेशों पर होने को पूर्व पीसी/आर/एच से अनुपालन प्राप्त कर परिवर्तन कार्यवाही को उपलब्ध करना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (कार्यवाही के माध्यम से प्रवेश संस्था पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्णय शासनादेशों/निर्णय/निर्णय के अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था को सम्बन्धित सूचना जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्नातक, स्नातक-स्नातक, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष किया जाय। संस्था सुलभ, उपाध्यक्ष सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध बनाया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु संयुक्त शासनादेशों/निर्णय/निर्णय के माध्यम से शासनादेशों को सम्बन्धित में सम्बन्धित आवाजाय व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित की है कि संस्था में प्रस्तावित/सम्बन्धित पाठ्यक्रम को बनाने वाले हेतु निर्देशालय शासनादेशों के सम्बन्धित शासनादेशों पर निर्णय, सुनिश्चित, शासनादेशों/निर्णय/निर्णय के प्रवेश संस्था द्वारा किसी अन्य शासनादेशों को शासनादेशों में प्रवेश किया जाता है जो परिवर्तन को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था शासनादेशों का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो शासनादेशों को सम्बन्धित सम्बन्धित करने को अनुमोदन की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का अनुपालन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(नाम सम्बन्धित शिक्षा)
सचिव

पृष्ठ सं- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1872-3141

तारीख: 15-09-2020

पता: शिक्षा-प्रशासनादेश/निर्देशक, डा. एच.एस.एच. एवं उच्च शिक्षा आयोग, शासनादेशों, शासनादेशों, शासनादेशों।

(नाम सम्बन्धित शिक्षा)
सचिव

- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था से श्रुति, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आइ०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, DR S.N.DEV COLLEGE OF PHARMACY SHAMLI,SIKKA,SHAMLI-247776



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव